सं. : 1:05:138:I:सीएस
दिनांक : 10.07.2026

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001

विषय : सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में सूचना।

महोदया/महोदय,

पीएफसी ने अपने 8,000,000,000 अमेरिकी डॉलर के वैश्विक मध्यावधि नोट कार्यक्रम के अंतर्गत 300,000,000 अमेरिकी डॉलर के फ्लोटिंग दर नोट, जो वर्ष 2029 में परिपक्व होंगे, का सफलतापूर्वक मूल्य निर्धारण किया है। इन नोटों की परिपक्वता अवधि 3 वर्ष है तथा इन पर ओ/एन एसओएफआर + 110 बीपीएस प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान प्रत्येक तिमाही के अंत में क्रमशः 16 अक्तूबर, 16 जनवरी, 16 अप्रैल एवं 16 जुलाई को प्रत्येक ब्याज भुगतान तिथि पर किया जाएगा। यह निर्गम विनियम के अंतर्गत किया गया है। इन नोटों के निपटान की संभावित तिथि 16 जुलाई, 2026 है।

यदि नोटों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार उनका पूर्व मोचन नहीं किया जाता है, तो ये नोट 16 जुलाई, 2029 को परिपक्व होंगे तथा इनकी मूलधन राशि एवं ब्याज का भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा।

ये नोट पीएफसी के प्रत्यक्ष, बिना किसी शर्त के तथा असुरक्षित दायित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा ये आपस में और निर्गमकर्ता के अन्य सभी असुरक्षित दायित्वों के साथ पारि पासु का दर्जा रखेंगे। इन नोटों को एनएसई आईएफएससी तथा इंडिया आईएनएक्स पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

इन नोटों के निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक के बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

यह आपके सदस्यों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों की जानकारी हेतु तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में प्रस्तुत किया जा रहा है।

धन्यवाद।

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com